टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/13 लागू तिथि 10.6.2013

फतेहगढ़ स्टेशन पर डाउन स्टार्टर लाईन सं. 1 के लिए रिपीटर सिगनल के प्रावधान के सम्बन्ध में फतेहगढ़ स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जत/13 दिनाँक 10.12.2010 की संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनॉक 30.05.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

<u>सामान्य भाग</u> :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 5 पैरा 4 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 7 पर रिपीटर के वर्णन एवं पैरा 4.1 (घ) संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 6 (ख) का (ठ) एव 6.1.1 संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 6.9 (घ) जोड़कर संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 7 संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 21 पैरा 8.3 (V)संशोधित

<u>सिगनलिंग परिशिष्ट</u> :-

1. परिशिष्ट 'ख' पृ०सं० 122 पैरा नं० 1 (1.1, 1.3) संशोधित
2. परिशिष्ट 'ख' पृ०सं० 123 पैरा नं० 2.1.2.4 संशोधित
3. परिशिष्ट 'ख' पृ०सं० 125 पैरा नं० 3.5 संशोधित
4. आर०डी० संख्या 53 दिनांक 17.10.2007 आरल्ट्रेशन **'बी'** दिनांक 16.4.2012 को आल्ट्रेशन **'सी'** दिनांक 03.10.12 द्वारा बदला गया ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/13 लागू तिथि 27.11.2012

फतेहगढ़ -कमालगंज के मध्य इंजी० समपार 145/सी को रक्षित करने के सम्बन्ध में फतेहगढ़ स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जत/13 दिनाँक 10.12.2010 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक 19.4.2012 संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

<u>सामान्य भाग</u> :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 रूल डायग्राम संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 2.6 गेट संख्या 145/सी को जोड़कर संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 5 गेट संख्या 145/सी का संदर्भ जोड़कर कर तथा पैरा 6 नियम संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 6.1.2 नियम संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.2 (घ) संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 6.5 (घ) संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.6 (घ) संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 7 (4) (I) जोड़कर संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 21 पैरा 8.4.2 संशोधित
10. परिशिष्ट 'ड़' पृष्ठ संख्या 153 पैरा 9 जोड़कर संशोधित
11. परिशिष्ट 'ग' पृष्ठ संख्या 149A जोड़कर संशोधित
12. परिशिष्ट 'च' पृष्ठ संख्या 153A जोड़कर संशोधित
13. परिशिष्ट 'छ' पृष्ठ संख्या 153B जोड़कर संशोधित

<u>सिगनलिंग परिशिष्ट</u> :-

(I) **परिशिष्ट 'क'**

परिशिष्ट 'क-IX गेट संख्या 145/सी का संदर्भ पृष्ठ संख्या 121A से 121 J तक जोड़कर संशोधित

1. गेट संख्या 141/सी पृष्ठ संख्या 31, 32, 33, 34, 35, 37 बदलकर संशोधित
2. गेट संख्या 142/सी पृष्ठ संख्या 41, 42, 44, 49 बदलकर संशोधित
3. गेट संख्या 143/सी पृष्ठ संख्या 52, 53, 54, 55, 56, 58 बदलकर संशोधित
4. गेट संख्या 144/सी पृष्ठ संख्या 62, 63, 64, 65, 66, 68 बदलकर संशोधित
5. गेट संख्या 146/बी पृष्ठ संख्या 72, 73, 75, 80 बदलकर संशोधित
6. गेट संख्या 147/बी पृष्ठ संख्या 82, 85, 86, 90 बदलकर संशोधित
7. गेट संख्या 148/ए पृष्ठ संख्या 92, 95, 96, 100 बदलकर संशोधित
8. गेट संख्या 150/सी पृष्ठ संख्या 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 बदलकर संशोधित
9. गेट संख्या 151/सी पृष्ठ संख्या 113, 114, 116, 121 बदलकर संशोधित

(II). परिशिष्ट 'ख'

1. पृष्ठ संख्या 122, 135 बदलेकर संशोधित
2. आर०डी० संख्या 53 दिनांक 17.10.2007 आरल्ट्रेशन **'ए'** दिनांक 13.12.2011 को आल्ट्रेशन **'बी'** दिनांक 16.4.2012 द्वारा बदला गया ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मण्डल

स्टेशन संचालन नियम
संख्या-इज्जतनगर/13

फतेहगढ़ स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 10.12.2010
लागू तिथि 2.2.2011
पुनरीक्षण तिथि Dec-15

(बी श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक- III, बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी :1.स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/13 दिनॉक 22.11.2005 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2.इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नही करते।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :**

सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० सं० NER / IZN / FGR / 2005 / VER-ZERO Alt."H" पर आधारित इस स्टेशन का नियमारेख संख्या 53 दिनॉक 17.10.2007 Alt 'C' दिनांक 3.10.2012 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. **स्टेशन का विवरण** :

यह 'बी' श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक- III (रुट सेटिंग टाइप) पैनल अन्तर्पाशित स्टेशन है ।

2.1. **सामान्य (स्थिति) :**

फतेहगढ़ स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल - कासगंज जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर 'बी' श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 134.39 किमी० तथा कासगंज जं० से 112.67 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2. **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी एवं बाहरी साइडिंगें :**

कमालगंज (पूर्व दिशा में) : 12.87 किमी० की दूरी पर स्थित है.।
फर्रूखाबाद (पश्चिम दिशा में) : 04.83 किमी० की दूरी पर स्थित है।
आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति : इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मण्डल

स्टेशन संचालन नियम
संख्या-इज्जतनगर/13

फतेहगढ़ स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)

जारी तिथि 10.12.2010
लागू तिथि 2.2.2011
पुनरीक्षण तिथि Dec-15

(बी श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक- III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी :1.स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/13 दिनॉक 22.11.2005 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2.इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नही करते।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :**

सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० सं० NER / IZN / FGR / 2005 / VER-ZERO Alt."H" पर आधारित इस स्टेशन का नियमारेख संख्या 53 दिनॉक 17.10.2007 Alt 'B' दिनांक 16.4.2012 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. **स्टेशन का विवरण** :

यह 'बी' श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक- III (रुट सेटिंग टाइप) पैनल अन्तर्पाशित स्टेशन है ।

2.1. **सामान्य (स्थिति) :**

फतेहगढ़ स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल - कासगंज जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर 'बी' श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 134.39 किमी० तथा कासगंज जं० से 112.67 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2. **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी एवं बाहरी साइडिंगें :**

कमालगंज (पूर्व दिशा में) : 12.87 किमी० की दूरी पर स्थित है.।
फर्रूखाबाद (पश्चिम दिशा में) : 04.83 किमी० की दूरी पर स्थित है।
आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति : इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

<u>बाहरी साइडिंगें</u> : कोई नहीं

<u>हाल्ट स्टेशन</u> : याकूतगंज हाल्ट फतेहगढ़ - कमालगंज ब्लाक खण्ड में इस स्टेशन से 5.89 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.3. **<u>स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड</u>** :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहॉ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहॉ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
फतेहगढ़ - फर्रूखाबाद	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 (फतेहगढ़)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (फर्रूखाबाद)
फतेहगढ़ - कमालगंज	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-11 (फतेहगढ़)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (कमालगंज)

2.4 **<u>ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो</u> :** कुछ नहीं।

2.5 **<u>अभिन्यास (ले-आउट)</u> :**

इस स्टेशन का अभिन्यास 5 लाइनों का है। लाइन सं० 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइनें हैं तथा लाइन संख्या 4 एवं 5 अपरिचालित लाइनें है ।

2.5.1. **<u>परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)</u> :**

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	818 मीटर	प्लेटफार्म वाली मेन लाइन
लाइन संख्या-2	662 मीटर	लूप लाइन
लाइन संख्या-3	688 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या- 1 सीधी लाइन है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियॉ किसी भी परिचालित लाइन पर/से किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है ।

(घ) परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा होम सिगनल के बाहर 5 रेल की लम्बाई तक भी दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (OCCUPIED) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रुप में दिया हुआ है।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

2.5.2 **अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

अपरिचालित लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लइन सं०–4	गुड्स साइडिंग लाइन	706 मीटर	रनिंग लाइन संख्या 3 से निकली है।
लाइन सं०–5	इंजीनियरिंग लाइन	100 मीटर	रनिंग लाइन सं० 1 से निकली है।

2.5.3 **अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं :** कुछ नहीं

2.6. **समपार फाटक :**

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन हेतु उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार सुविधा	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
147-B	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० S-11 तथा अप होम सिगनल S-12 के मध्य किमी०132/2-3	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
148-A	अप अग्रिम प्रस्थान सिग० S-2 तथा कॉटा संख्या 201A के मध्य किमी० 133/10-11	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
142-B	फतेहगढ़ - कमालगंज के मध्य किमी० 127/7-8	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

143-C	फतेहगढ़ - कमालगंज के मध्य किमी० 128/4-5	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
144-C	फतेहगढ़ - कमालगंज के मध्य किमी० 129/8-9	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
145-C	फतेहगढ़ - कमालगंज के मध्य किमी० 129/15 130/0	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
146-B	फतेहगढ़ - कमालगंज के मध्य किमी० 131/3-4	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	हैं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
150-C	फतेहगढ़ - फर्रूखाबाद के मध्य किमी० 134/10-11	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
151-C	फतेहगढ़ - फर्रूखाबाद के मध्य किमी० 134/14-15	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क' से 'क-IX' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों कमालगंज तथा फर्रूखाबाद से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त टोकनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सिल काउन्टर के साथ **कमालगंज** तथा **फर्रूखाबाद** स्टेशन के साथ अलग-अलग सम्बद्ध।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.10, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।
(सहा० नियम 14.02 (v) तथा साधा० तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन ((Signalling & Interlocking) की पद्धति :**
विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :
फतेहगढ़ स्टेशन स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें।

प्रदत्त सिगनल :

(क) **अप आगमन सिगनल :**
अप डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए 12 अप होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेतों पर आधारित।
जं० संकेतकों सहित अप होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेत निम्न प्रकार हैः-
(i) अप होम सिगनल संख्या एस-12 लाइन संख्या 1 के लिए (जंक्शन इंडीकेटर रहित)
(ii) अप होम सिगनल सं० एस-12 लाइन सं० 2 के लिए बायीं ओर दूसरे जंक्शन इंडीकेटर सहित
(iii) अप होम सिगनल सं० एस-12 लाइन सं० 3 के लिए बायीं ओर पहले जंक्शन इंडीकेटर सहित

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल** :
(i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 लाइन संख्या 1 के लिए (मेन लाइन)।
(ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6 लाइन संख्या 2 के लिए (लूप लाइन)।
(iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 8 लाइन संख्या 3 के लिए (लूप लाइन)।
(iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 कम अपगेट डिस्टेन्ट फर्रूखाबाद स्टेशन छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति द्वारा नियन्त्रित होता है।

(ग) **डाउन आगमन सिगनल** :
डाउन डिस्टेन्ट कम डाउन गेट सिगनल सं० (2) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 के सकेंत पर आधारित है समपार सं० 151 के लिए नार्मल आस्पेक्ट लाल है।
जं० संकेतकों सहित डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेत निम्न प्रकार है :-
(i) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 लाइन संख्या 1 के लिए जंक्शन इंडीकेटर रहित
(ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 लाइन संख्या 2 के लिए दूसरा दाहिनी ओर जंक्शन इंडीकेटर सहित।
(iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 लाइन संख्या 3 के लिए पहला दाहिनी ओर जंक्शन इंडीकेटर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(घ) **डाउन प्रस्थान सिगनल :**

(i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 लाइन संख्या 1 के लिए (मेन लाइन)।

(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7 लाइन संख्या 2 के लिए (लूप लाइन)।

(iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 9 लाइन संख्या 3 के लिए (लूप लाइन)।

(iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 कम डाउन गेट डिस्टेन्ट कमालगंज स्टेशन छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित होता है ।

(ङ) अतिरिक्त सिगनल :

(i) **कालिंग आन सिगनल** :

कालिंग आन सिगनल संख्या	**विवरण**
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी 10	यह अप होम सिगनल सं० एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1 या 2 या 3 में आने के लिए है।
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी 3	यह डाउन होम सिगनल सं० एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1 या 2 या 3 में आने के लिए है।

(ii) **शंट सिगनल :**

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिग० सं.	किस सिगनल के नीचे स्थित है	**विवरण**
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से फर्रूखाबाद छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से कमालगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से फर्रूखाबाद छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से कमालगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से फर्रूखाबाद छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9	लाइन सं० 3 से कमालगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

(ख) अनाश्रित शंट सिगनल

शंट सिगनल संख्या	विवरण
एस एच 31	फर्रूखाबाद छोर से लाइन सं० 1, 2, 3 तथा 4 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।
एस एच 32	फर्रूखाबाद छोर में लाइन सं० 4 से अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शटिंग के लिये
एस एच 33	कमालगंज छोर में लाइन सं० 4 से डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शटिंग के लिये
एस एच 35	कमालगंज छोर में लाइन सं० 5 से डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शटिंग के लिये
एस एच 36	कमालगंज छोर से लाइन सं० 1, 2, 3, 4 तथा 5 में शंटिंग के लिये आने हेतु

(ग) **पुरनावर्तक (रिपीटर) :** कमालगंज साइड शार्प कर्व होने के कारण लाइन नं० 1 पर गाड़ी के रूकने के स्थान से गार्ड एवं चालक को स्टाटर सिगनल दिखाई नही देता है। अतः चालक के लिए कलर लाइट रिपीटिंग सिगनल तथा गार्ड के लिए स्टाटर इन्डीकेटर का प्रावधान है।

4.1.(क) सभी काँटें एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते है जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते है। यह स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थित है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के संचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये है। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नही करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिग रुट इंगित करेगीं।

(ध) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रुप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेमा० अपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को ‘आफ’ से ‘आन’ स्थिति में वापस कर सकता है।

(ङ) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को “आफ” से “आन” स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा का पाश प्रकाश (लाक लाइट) अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगें।

(च) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियंत्रण है।

(छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.2 **स्थाई रुप से ताला बन्द कॉटें:** कोई नहीं।

4.3 **मेन लाइन का पृथक्करण (आइसोलेशन) :**

(i) क्रासओवर 201ए-201बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को फर्रूखाबाद छोर पर आइसोलेट करते हैं।

(ii) क्रासओवर 204-204एक्स एवं 207ए-207बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को कमालगंज छोर पर आइसोलेट करते हैं।

4.4 **विद्युत चालित कॉंटा मशीन क्रैन्क हैण्डिल** :

(क) परिचालित लाइनों पर प्रदत्त कॉंटा संख्या-201, 202, 203, 204, 205, 206 एवं 207 मोटर चालित कॉंटें है तथा प्रत्येक कॉंटें पर विद्युत कॉंटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉंटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। मोटर संचालित कांटों की विफलता के समय कांटों को क्रैन्क हैन्डिल से सैट किया जायेगा।

क्रैन्क हैन्डिल एवं उनके द्वारा संचालित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	क्रैन्क हैन्डिल संख्या	संचालित किये जाने वाले कॉटें
1	सी०एच०-1	201ए, 201बी,
2	सी०एच०-2	202, 203, 203एक्स
3	सी०एच०-3	204, 204 एक्स
4	सी०एच०-4	205, 205 एक्स, 206
5	सी०एच०-5	207ए, 207बी,

कार्यरत कॉंटेवाला द्वारा कॉटों को सेट, क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। इस दशा में कॉंटों का ठीक ढंग से सेट एवं पाशित होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा टी-369(3b) दिया जायेगा।

(ख) ऐसी परिस्थिति में स्टेशन गैर-अन्तर्पाशित समझा जायेगा । प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैन्डिल विद्युत कॉंटा मशीन द्वारा परिचालित कॉंटों के हस्थ प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारुप में प्रविष्टि अवश्य अँकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रेंक हैन्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेंक हैन्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेंक हैन्डिल निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैंक हैन्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेंक हैन्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पणी : क्रैंक हैन्डिल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” का पैरा 7 देखें।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.5 **काँटा तथा सिगनल पुश बटन :-**
काँटों तथा सिगनल स्विचों, उनके संकेतकों और स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण स्टेशन संचालन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है

4.6 **वीडर काउन्टर :-**
पैनल पर निम्नलिखित नौ वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (ई०यू०यू०वाई०एन०)(EUUYN)।
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (ई०यू०वाई०एन०)(EUYN)।
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर
4. सिगनल को आफ से आन करने के लिये वीडर काउन्टर (ई०जी०जी०एन०) (EGGN)।
5. क्रैंक हैण्डिल वीडर काउन्टर
6. टोकनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)
7. एक्सल काउन्टर वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को आपरेट किया जाता है तब प्रत्येक बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है संख्या को इस उद्देश्य हेतु अनुरक्षित अलग-अलग पंजिका में प्रविष्टि किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की वीडर काउन्टर रजिस्टर एवं स्टेशन डायरी में अद्यतन प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4.7 **रिल रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य विधि :-**
इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित हैं। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस एण्ड टी) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसे खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस एण्ड टी कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी सौंपी जानी चाहिए।

4.8 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) :-**
विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग , कॉटों का संचालन एवं सिगनलों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० का प्रावधान किया गया है। आई०पी०एस० का विवरण परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 मे देखें।

4.9 **पर्याप्त दूरी का विचलन (Deviation)** :-
अनुमुख काँटों से आगे पर्याप्त दूरी सामान्य नियम 3.40 (i) (बी) के अनुसार गाड़ी के रूकने के स्थान से ली गयी है ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

5. **दूरसंचार :**

(i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बध्द कन्ट्रोल टेलीफोन

(ii) फर्रूखाबाद स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन

(iii) कमालगंज स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन

(iv) बी०एस०एन०एल० टेलीफोन

(v) वी०एच०एफ०सैट

(vi) इंजी०गेट सं० 141/C, 142/B, 143/C, 144/C, 145/C, 146/B, 147/B, (FGR - KLJ) तथा स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन

(vii) ट्रैफिक गेट सं० 148/A (FGR - FBD) तथा स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन

(viii) इंजी०गेट सं० 150/C (FGR - FBD) तथा स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन

(ix) इंजी०गेट सं० 151/C (FGR - FBD) तथा स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन

6. **गाड़ी संचंलन :**

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40,, 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशो के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेगें।

(क) **गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(i) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ अभिधारिता (आक्यूपेन्सी) बत्तियों में लाल प्रकाश तो नही जल रहा है।

(ii) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है। लाइन निम्न स्थान तक साफ होनी चाहिए।

(क) **अप गाड़ियों के लिए :**

i) लाइन सं० 2 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

ii) लाइन सं. 1 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) **<u>डाउन गाड़ियों के लिए :</u>**

(i) लाइन सं. 2 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ii) लाइन सं. 1 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 147/बी को बन्द एवं लाक किया जायेगा। गेट नियंत्रण बटन 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है । इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा। अप गाडी को लाइन सं० 2 अथवा 3 मेन लाइन बनाकर गाडी लेते समय समपार सं० 147/बी एवं 148/ए को बन्द एवं लाक किया जायेगा। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552 एवं 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखायी देगा।

इसी प्रकार डाउन गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 148/ए को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करे कि गेट नियंत्रण बटन 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है । इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा। डाउन गाडी को लाइन सं० 2 अथवा 3 मेन लाइन बनाकर गाडी लेते समय समपार सं० 148/ए एवं 147/बी को बन्द एवं लाक किया जायेगा। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखायी देगा।

(ड़) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ गया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल ''आन'' स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तब यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

(ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कॉटों को एक मिनट के अन्दर अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की दशा में दोनों ओर के कॉटों को अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। तत्पश्चात कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(एक्सिल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, गेटमैन एवं कॉटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :**

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सॉध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉंटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्यित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :**

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदत्त ट्रैक सर्किट के संकेतों कें माध्यम से गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता तथा बल्बों के फ्यूज़ होने की स्थिति में लाइनो का क्लीयरेंस ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii),3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन** :

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रुप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारुप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रुप से देगें ।

(सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली का पैरा 3003 देखें)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

(ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कॉटों को एक मिनट के अन्दर अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की दशा में दोनों ओर के कॉटों को अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। तत्पश्चात कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(एक्सिल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6.1 **<u>गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य</u> :**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, गेटमैन एवं कॉटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **<u>प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी</u> :**

<u>दिन की पाली</u> :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

<u>सॉध्य/रात्रि पाली</u> :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉंटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **<u>लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्यित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र</u> :**

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदत्त ट्रैक सर्किट के संकेतों कें माध्यम से गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता तथा बल्बों के फ्यूज़ होने की स्थिति में लाइनो का क्लीयरेंस ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii),3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 **<u>आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन</u>** :

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रुप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारुप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रुप से देगें ।

(सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली का पैरा 3003 देखें)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

6.2. **लाइन क्लीयर देने की शर्तें :**

लाइन तब तक साफ नही समझी जायेगी तथा आगमन अनुमति (लाइन क्लीयर) तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि :

(क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(घ) अप गाडियों के मामले में गेट सं० 141/सी, 142/बी, 143/सी, 144/सी, 145/सी एवं 146/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट तथा डाउन गाडियों के मामले में समपार फाटक सं० 150/सी एवं 151/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुदेशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क)(ख)(ग) (ii) तथा सहा० नि० 8.03(i), (ii),(iii),(iv) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्ते :-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरूध्द काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरूध्द हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरूध्द लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर लाइन संख्या 3 पर साधारण एवं सहयक नियम 5.10 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गाड़ी का आगमन किया जा सकता है। नान-इन्टरलाक कॉटो की सही सैटिंग एवं लाकिंग एवं गाड़ी को रनिंग लाइन के कॉटे तक पायलट करने के लिये कॉटेवाला उत्तरदायी है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर लाइन संख्या 3 से साधारण एवं सहयक नियम 5.11 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गाड़ी का प्रस्थान कराया जा सकता है। नान-इन्टरलाक कॉटो की सही सैटिंग एवं लाकिंग तथा गाड़ी को रनिंग लाइन के कॉटे तक पायलट करने के लिये कॉटेवाला उत्तरदायी है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.2.1.6 <u>सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना</u> :- कोई नहीं।

6.3 **<u>आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्ते</u> :**
आगमन सिगनलो को तब तक 'आफ' नही किया जायेगा जब तक कि :-

(1) सभी सम्मुख तथा अनुमुख काँटे जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट एवं पाशित न कर दिये गये हों तथा स्टेशन पैनल पर संकेत न दिखायी दें ।

(2) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन अभिप्रेत है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो ।
लाइनों का साफ होना निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जाय :-

(क) अप गाड़ी के लिए लाइन सं० 2 अथवा 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या मेन लाइन लगाकर अथवा लाइन सं० 1 पर आगमन हेतु अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(ख) डाउन गाड़ी के लिए लाइन सं० 2 अथवा 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या मेन लाइन लगाकर अथवा लाइन सं० 1 पर आगमन हेतु डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(3) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 147/बी को बन्द एवं लाक करके गेट नियंत्रण बटन 552 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा। लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 पर मेन लाइन लगाकर लेते समय समपार सं० 148/ए को बन्द एवं लाक करके गेट नियंत्रण बटन 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा। इसी प्रकार डाउन गाडी लाइन सं 1, 2 अथवा 3 पर लेते समय गेट सं० 148/ए को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियंत्रण बटन 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा।
(साधा० नि० एवं सहा० नि० 3.40(1)(ख), (3) (क) एवं (4) तथा सहा० नि० 3.40(1) देखें)

6.3.1 **<u>आफ किये गये सिगनल को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व</u> :-**
किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

6.4. **गाड़ियों का एक साथ आगमन/क्रासिंग :**

“इस स्टेशन पर गाड़ियो के एक साथ आगमन की अनुमति नहीं है।

गाड़ियो का आगमन एवं प्रस्थान निम्न प्रकार किया जा सकता है।

(क) (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 पर आगमन अथवा
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 से प्रस्थान

(ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन अथवा
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 से प्रस्थान

(iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 पर आगमन अथवा
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 से प्रस्थान

(iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन अथवा
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 से प्रस्थान

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक वान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।

(ग) यात्री गाड़ियों की क्रासिंग सहायक नियम 5.01 (14) के अनुसार की जायेगी।

6.5. **गाड़ियों का पूर्ण आगमन :**

(क) स्टेशन से बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है ।

(ख) रुकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 148/A पर कार्यरत गेट मैन का यह कर्तव्य होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लग एल०वी०/फ्लैशर टेल लैम्प को देखने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को अपने प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये एवं अपनी -अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करे। अप गाड़ी के पूर्ण आगमन पर एवं अप अथवा डाउन गाड़ी एल०वी०/टेल लैम्प के सन्दर्भ में गाड़ी अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर, गाड़ी के गार्ड से इस उद्देश्य हेतु कार्यरत कर्मचारी द्वारा भेजे गये ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर के प्रारूप टी/1410 पर पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक ब्लाक यन्त्र पर लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लघंन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नही हो जाता है। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(ग) गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद काँटो, सिगनलों तथा समपार फाटकों को उनकी सामान्य स्थिति में वापस कर दिया जायेगा ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

6.6 **गाड़ियों का प्रस्थान** : जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकन यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।

(ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्तियों में लाल प्रकाश नही जल रहा है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) अप गाड़ी के प्रस्थान के मामले में फाटक संख्या 148/ए तथा डाउन गाड़ियों के प्रस्थान के मामले में फाटक संख्या 147/बी को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द है सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 एवं 552 लाक्ड स्थिति में दबा दिये गये है जिससे फाटक संख्या 148/ए एवं 147/बी के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देगें ।

अप गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि गेट सं० 150/सी एवं 151/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट तथा डाउन गाडी प्रस्थान करने से पूर्व गेट सं० 141/सी ,142/बी, 143/सी, 144/सी 145/सी एवं 146/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित अनुदेशानुसार सूचित कर दिया गया है ।

(ड़) पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल रिलीज लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये

(च) जाने वाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगीं।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाडियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी। डाउन गाड़ी का गार्ड प्लेटफार्म नं० 1 से गाड़ी के चालक को गाड़ी चलाने के लिए हरा संकेत दिखाने से पूर्व स्टार्टर इन्डीकेटर का आफ होना इसके पीले संकेत को देखकर सुनिश्चित करें ।

(ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पंहुचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल ''आन'' हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पंहुचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल ''आन'' हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण रुप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कॉटा बटन आपरेट करके कांटों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखें।

(झ) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्युज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

6.6.1.**<u>सतर्कता (काशन) आदेश जारी करना :</u>**

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रुप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अन्तर्गत निर्धारित है, गार्ड एवं ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर दिया जाय ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. **<u>गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना</u>** :

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मुख्य लाइन संख्या 1 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।

(ख) किसी भी गाड़ी को लूप लाइन संख्या-2 या 3 से बिना रुके प्रतिबन्धित गति से सीधे जाने की अनुमति है ।

(ग) स्टेशन से सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिगं अवश्य बन्द कर दी जाय । बराबर की लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को"आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी क्रू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये । इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन क्रू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये ।

(विशेष रुप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)

(ड़) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी । (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

कॉंटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70 सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना तथा सम्मुख एवं अनुमुख कॉंटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 **लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचलन के लिये विशेष अनुदेश** :

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों कें संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये ।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नही है । साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें ।

(घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

(अतुल सिंह)	(जे०ए०आजमी)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70 सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना तथा सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 **लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचलन के लिये विशेष अनुदेश** :

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों कें संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये ।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नही है । साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं०इज्जत/13 फतेहगढ़

7. **लाइन अवरूध्द होना :-**

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नही है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 **स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंगः-**

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खाड़े वाहनों के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**

(i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खातरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खातरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

<u>टिप्पणी</u> :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी आवश्यक है :-

(क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

(घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. **<u>शन्टिग</u> :**
शन्टिग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. **<u>ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग</u>** : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) **<u>होम सिगनल तक शन्टिग :</u>**
निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हुये शन्टिग की अनुमति है :-

i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।

ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

iii) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 के साथ शंटिग चाबी दी जाय ।

(ख) **<u>होम सिगनल के बाहर शन्टिग</u>** : निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।

iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल के बाहर शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 के साथ सम्बन्धित शंटिंग चाबी भी दी जाय ।

8.2. **<u>आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिग</u>** : (आगमन अनुमति देने के बाद)
(क) **<u>बाह्यतम सम्मुख कॉटों के अन्दर शन्टिंग</u>** :
i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।
ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

(ख) **<u>अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग</u>** :- बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा पैनल पर इनका इंडिकेशन उपलब्ध हो।
ii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

(ग) अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे शंटिंग की अनुमति नही है ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

8.3. **<u>जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिग</u> :**
प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।

ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।

iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय से बाधित न हो।

iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।

v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 के साथ शंटिंग चाबी दी जाय।

8.4.1. **<u>शन्टिग पर प्रतिबन्ध</u>** :
आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल "आफ" किये जाने के बाद नान आइसोलेटड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नही है।

8.4.2. **<u>शन्टिग का कोई विशेष पहलू</u>** :

(क) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल के आगे शंटिंग की स्थिति में चालक को T-806 तथा शंटिंग चाबी सौंपने से पूर्व गेट सं० 147/B का बन्द एवं लाक होना तथा इस आशय का इंडिकेशन पैनल पर उपलब्ध होना सुश्चित कर लिया जाय।

(ख) **शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होगे :-**

1. सामान्य पर्यवेक्षण ।
2. सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।
3. यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii)
5. शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

8.5. **<u>स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग</u>** : कोई नहीं ।

8.6. **<u>बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :</u>** कुछ नही ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन निमय सं० इज्जत/13 फतेहगढ़

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिग :**
प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।

ii) सभी सम्बन्धित सिगनल ”आन” स्थिति में हों ।

iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय से बाधित न हो।

iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।

v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल ”आन” स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 के साथ शंटिंग चाबी दी जाय।

8.4.1. **शन्टिग पर प्रतिबन्ध** :
आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल “आफ’’ किये जाने के बाद नान आइसोलेटड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नही है।

8.4.2. **शन्टिग का कोई विशेष पहलू** :

(क) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल के आगे शंटिंग की स्थिति में चालक को T-806 तथा शंटिंग चाबी सौंपने से पूर्व गेट सं० 147/B का बन्द एवं लाक होना तथा इस आशय का इंडिकेशन पैनल पर उपलब्ध होना सुश्चित कर लिया जाय। फर्रूखाबाद छोर पर शंटिंग के दौरान गेट सं० 148/ए का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) **शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होगे :-**

1. सामान्य पर्यवेक्षण ।
2. सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।
3. यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii)
5. शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग** : कोई नहीं ।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :** कुछ नही ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9. **सामान्य अनुदेश** :

असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणो के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट / बीएसएनएल फोन द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।
(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहॉ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

2(ख) **वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-**

(i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन कलीयर लिया / दिया जाय।

3 लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4. यदि कोई मोटर चालित काँटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या काँटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी काँटें पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा।

5. **क्रैंक हैण्डिल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि** :-
संचालन नियम के पैरा 4.4 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

6. **कॉलिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण** :-
कालिंग आन सिगनल पर गाड़ी का आगमन करते समय वॉछित लाइन का बाधा रहित होना ट्रैक सर्किट के माध्यम एवं विफलता की स्थिति में भौतिक सत्यापन द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय

7. **कॉटों ट्रैक सर्किटध्एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना** :-
परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 को देखें

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –

(क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।

(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।

(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन

(ड़) नियन्त्रण दूरभाष ,

(च) वी० एच० एफ० सेट

2. **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन** :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।

(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

(जे०पी०शर्मा)	(जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3 **संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी** -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड मे इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को ''आन'' स्थिति मे पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियो का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियो का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

<u>टिप्पणी</u> :

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटें के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियॉ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. **<u>सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियॉ :</u>**

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2 **<u>दोहरी लाइन पर अस्थायी रुप से इकहरी लाइन का संचालन</u>** : कुछ नही।

9.3. **<u>दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायता के लिये बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :</u>**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक खण्ड में राहत इंजिन/गाड़ी ले जाने के प्राधिकार टी/ए602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। (सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09(3)(ii) (ii) (1) (2) (3) देखें।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9.4. **विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश** :

(क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते है।

(ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आईपीएस उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि स्टेशन मास्टर कक्ष में प्रदत्त आईपीएस स्थिति सूचक पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये ब्ढ्ध्त्मेमज पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आपीएस सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। (आईपीएस सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट ‘‘ख’’ का अनुलग्नक-।। देखें)

(ग) जब जनरेटर सेट चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर जनरेटर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हैण्डिल के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेगें। जब जनरेटर चालू होता है, यह चेन्ज ओवर स्विच के द्वारा प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध किया जाता है।

(घ) जब जनरेटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे।

(ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में चार घंटे से अधिक नही चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर चार घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।

(च) डीजल जनरेटर के चार घंटे चल लेने के उपरान्त एक घंटा विश्राम के लिये रोक देना चाहिये जिसके बाद उसे आवश्यकतानुसार पुनः चार घंटा चलाया जा सकता है। यदि जनरेटर चलाने की आवश्यकता जारी रहती है तो जनरेटर को चार घंटे चलाकर एक घंटा विश्राम देने का चक्र रखा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगें जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग कार्यरत स्टेशन मास्टर मास्टर द्वारा अँकित की जायेगी।

(ज) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचलन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेगें। कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न प्रारुप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटो के साथ ही साथ रखेंगे।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

प्रारुप

1. **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनित्र प्रचालन** :

क्र० सं०	तिथि	आई०पी०एस०की चार्जिंग समय	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. **डीजल का उपयोग** :

क्रम संख्या	दिनाँक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी :- तत्काल सन्दर्भ के लिये उक्त अनुच्छेदों के सुसंगत साधारण एवं सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सन्दर्भित नियम सम्पूर्ण नही है। अतः सभी साधारण एवं सहायक नियम अथवा अथवा समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी किये गये परिपत्र/अनुदेश/निर्दश का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

(क) **अप छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस - 5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) **डाउन छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर** : परिशिष्ट "ङ" देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम** :

कोहरे के मौसम में फाग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची, उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर रखी फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :** परिशिष्ट "घ" देखें ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

14. **परिशिष्टों की सूची :**

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग": टक्कर रोधी उपकरण - **इस स्टेशन पर लागू नहीं है**

परिशिष्ट "घ": गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ": स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च": डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम - **इस स्टेशन पर लागू नहीं है**

परिशिष्ट "छ": विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम - **इस स्टेशन पर लागू नहीं है**

परिशिष्ट "ख" के अनुलग्नक :

अनुलग्नक-I : मोटर प्वाइंट मशीन का क्रैंन्क हैन्डिल द्वारा संचालन

अनुलग्नक-II : कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/58 फतेहगढ़

परिशिष्ट "ग"

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

" कुछ नही "

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रुपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यो से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभॉति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको,डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लघंन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यो के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रुप से करेगें।

(घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नही हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यो के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान एवं शंटिग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगें :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिंगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉंटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवक्षण में कॉंटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. सिगनल अथवा कॉंटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना तथा गाड़ी रन थ्रू पास होते समय आफ साइड से प्रोसीड सिगनल दिखाना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉंटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-

i) सिगनल, कॉंटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।

ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- जो कॉटें, कॉटेवालें द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉंटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉंटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉंटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुॅच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/58 फतेहगढ़

परिशिष्ट "ड़"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	हाथ सिगनल बत्ती	- 05 बैट्री आपरेटेड - 04 के० आयल (गेट 147 तथा 148 के लिये)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	- 04 हरी तथा 06 लाल
3.	पटाखा सिगनल	- 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	- 04 तालो सहित
5.	क्लैम्प	- 06 तालो सहित
6.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	- 01
7.	फायर बकेट	- 06
8.	अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप	- 01
9.	लकड़ी के गुटके	- 04

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

परिशिष्ट “ड़”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	हाथ सिगनल बत्ती	- 04 बैट्री आपरेटेड - 04 के० आयल (गेट 147 तथा 148 के लिये)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	- 04 हरी तथा 06 लाल
3.	पटाखा सिगनल	- 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	- 04 तालो सहित
5.	क्लैम्प	- 06 तालो सहित
6.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	- 01
7.	फायर बकेट	- 06
8.	अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप	- 01

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/58 फतेहगढ़

परिशिष्ट “च”

डी०के०स्टेशन, आई०वी०एच०, आई०बी०एस० एवं बाहरी साइडिंगो के संचालन नियम

‘‘कुछ नही’’

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/58 फतेहगढ़

परिशिष्ट "छ"

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

''कुछ नही''

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर